भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2333

03 अगस्त, 2021 के लिए प्रश्न

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राशन कार्ड

2333. श्री टी.एन. प्रथापन:

श्री विनसेंट एच. पाला:

डॉ. ए. चेल्लाकुमार:

श्री एम. सेल्वराज:

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:

श्री के. नवासखनी:

श्री के. सुधाकरन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़ी संख्या में लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वंचित है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य-वार पीडीएस कवरेज की गणना के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर निर्भरता पुरानी हो चुकी है और इससे करोड़ों लाभार्थी बाहर हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार लाभार्थियों की पहचान करने के लिए डाटाबेस को अद्यतन करने के लिए कदम उठा रही है; और

(घ) क्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के दूसरे चरण में, जिन व्यक्तियों को राशन कार्ड नहीं मिल पाए है, उनकी समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा विशिष्ट उपाय किए गए हैं या करने की योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन प्रचालित की जाती है। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस अधिनियम के तहत अपने निजी मानदंडों के अनुसार पात्र लाभार्थियों/ परिवारों की पहचान करने, राशन कार्डों को जारी करने के लिए और उचित दर दुकानों से खाद्यान्नों के वितरण का प्रचालनात्मक दायित्व संबंधित राज्य सरकारों की होती है। इसके अलावा, इस विभाग ने खाद्य सुरक्षा लाभों के लिए एनएफएसए के अधीन समाज के कमजोर और दुर्बल वर्गों को संबंधित एनएफएसए की सीमा तक कवर करने के लिए सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं।

.....2/-

(ख): जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 81.35 करोड़ व्यक्तियों तक को कवर करने का प्रावधान है। फिलहाल, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कवरेज के कारण कुल लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को देशभर में एनएफएसए लाभ प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थियों का कवरेज एनएफएसए प्रावधानों में संशोधन पर निर्भर करता है।

(ग): संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली (आरसीएमएस) में एनएफएसए के अधीन सभी राशन कार्डों के डाटाबेस तैयार कर रखा जाता है।

(घ): इसके अतिरिक्त नियमित राजसहायता प्राप्त एनएफएसए खाद्यान्नों के अलावा, फिलहाल देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) के तहत नि:शुल्क खाद्यान्नों का लाभ सभी एनएफएसए लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा, संबंधित एनएफएसए की निर्धारित सीमा तक अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को कवर करने के लिए सभी संबंधित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श दिया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एनएफएसए के तहत अधिदेशित कवरेज सीमा के अनुसार, अधिकतम पात्र लाभार्थियों को एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई खाद्यान्नों, दोनों का लाभ मिल सके।

*****